



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15112022-240296
CG-DL-E-15112022-240296

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 729]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 15, 2022/कार्तिक 24, 1944

No. 729]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 15, 2022/KARTIKA 24, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2022

सं. 22/2022 - केंद्रीय कर

सा.का.नि. 817(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय माल और सेवा कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017, (जिसे इसमें इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) में, प्ररूप जीएसटीआर-9 में, शीर्षक अनुदेश के अधीन, पैरा 7 में, -

(क) शब्दों, अक्षरों और अंको "अप्रैल, 2022 से सितंबर, 2022 के बीच प्ररूप जीएसटीआर-3ख में" के स्थान पर शब्दों, अक्षरों और अंको "अप्रैल, 2022 से अक्टूबर, 2022 के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में 30 नवंबर 2022 तक" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) सारणी में, दूसरे स्तंभ में, -

- (I) क्रम संख्या 10 और 11 के सामने, शब्दों, अक्षरों और अंको "अप्रैल, 2022 सितंबर, 2022 के प्ररूप जीएसटीआर-1" के स्थान पर शब्दों, अक्षरों और अंको "अप्रैल, 2022 से अक्टूबर, 2022 के, 30 नवंबर, 2022 तक फ़ाइल किए गए प्ररूप जीएसटीआर-1" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (II) क्रम संख्या 12 के सामने, शब्दों, अक्षरों और अंको "अप्रैल, 2022 से सितंबर, 2022 के महीनों के लिए" के स्थान पर शब्दों, अक्षरों और अंको "अप्रैल, 2022 से अक्टूबर, 2022 के महीनों के लिए, 30 नवंबर, 2022 तक" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (III) क्रम संख्या 13 के सामने, शब्दों, अक्षरों और अंको "अप्रैल, 2022 से सितंबर, 2022 के महीनों के लिए" के स्थान पर शब्दों, अक्षरों और अंको "अप्रैल, 2022 से अक्टूबर, 2022 के महीनों के लिए, 30 नवंबर, 2022 तक" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. सीबीआईसी-20/2/2022-जीएसटी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में अधिसूचना सं. 3/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 द्वारा सांख्य सा.का.नि. 610(अ) तारीख 19 जून, 2017 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 19/2022-केन्द्रीय कर, तारीख 28 सितंबर, 2022 द्वारा सांख्य सा.का.नि. 734(अ), तारीख 28 सितंबर, 2022 द्वारा किये गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th November, 2022

No. 22/2022—Central Tax

G.S.R. 817(E).—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—

1. Short title and commencement. -(1) These rules may be called the Central Goods and Services Tax (Third Amendment) Rules, 2022.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in **FORM GSTR-9**, under the heading Instructions, in paragraph 7, -

- (A) for the figures, letters and words "between April, 2022 to September, 2022", the figures, letters and words "of April, 2022 to October, 2022 filed upto 30th November, 2022" shall be substituted;
- (B) in the Table, in second column, -
 - (I) against serial numbers 10 & 11, for the figures and words "April, 2022 to September, 2022", the figures, letters and words "April, 2022 to October, 2022 filed upto 30th November, 2022" shall be substituted;

- (II) against serial number 12, for the figures and words “April 2022 to September 2022”, the figures, letters and words “April, 2022 to October, 2022 upto 30th November, 2022” shall be substituted;
- (III) against serial number 13, for the figures and words “April 2022 to September 2022”, the figures, letters and words “April, 2022 to October, 2022 upto 30th November, 2022” shall be substituted.

[F. No. CBIC-20/2/2022-GST]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification No. 3/2017-Central Tax, dated the 19th June, 2017, published, *vide* number G.S.R. 610(E), dated the 19th June, 2017 and last amended, *vide* notification No.19/2022 - Central Tax, dated the 28th September, 2022, *vide* number G.S.R. 734(E), dated the 28th September, 2022.